...ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 88 / 2022 जीसीएमएस : 2022 / 121 दम्मन सिंह बनाम जंगीर सिंह–लवप्रीत सिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क सीपीसी	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
...06.2025		

पत्रावली वास्ते निर्णय हुई। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय में वाद पत्र एवं उसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का पेश किया हुआ है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2016 को चक 4 एएस मु.नं. 30 प.नं. 182 / 434 कि.नं. 7 ता 14, 20 / 1 का 2.606है. भूमि में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित की हुई है। वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 जंगीर सिंह बतौर प्रतिवादी / अप्रार्थी पक्षकार है तथा न्यायालय में उपस्थित है और पैरवी कर रहा है। अप्रार्थी सं. 2 जंगीर सिंह का पौत्र है और साथ ही निवास करता है। अप्रार्थीगण के द्वारा जानबूझकर न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभावी होते हुए व उसकी जानकारी होते हुए कि.नं. 14 में अनाधिकृत प्रवेश कर नव निर्माण कर लिया है। स्थगन आदेश 2016 से ही प्रभावी है। अप्रार्थीगण को निर्माण ध्वस्त करने हेतु समझाया लेकिन वे स्पष्ट इंकार कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है। न्यायालय आदेशों की अवमानना के लिए अप्रार्थीगण को दण्डित करने और किये गये निर्माण को ध्वस्त कर स्थगन आदेश के पूर्व की बहाली हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचनों का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण का जवाब बंद हो चुका है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से न्यायालय आदेशों की अवमानना नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के द्वारा प्र.सं. 02 / 2015 212 आरटीए की आदेशिका एवं प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन अनुसार अप्रार्थी जंगीर सिंह प्रकरण में पक्षकार है न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित की गयी है कि वे विवादित भूमि में आगामी पेश तक दखलंदाजी नहीं करें। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत अवमानना प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद विवादित भूमि में प्रवेश कर निर्माण किया गया है जिस हेतु न्यायालय आदेशों की अवमानना में अप्रार्थीगण को दण्डित किया जावे। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेज साक्ष्य अथवा गवाहान आदि के शपथ पत्र अथवा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेश की अवमानना की गयी हो जिसके लिए वे दण्डित किये जावें। प्रार्थी प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहे है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रा[illegible] का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क सिविल प्रक्रिया [illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर